

ISO NO.:21-ICA-02AA-1283

PWBVY

प्रगतिवाद बाल विकास योजना

CSR NO.:- 00027651

NITI AAYOG ID: DL/2020/0251982

PAN NO.- AAETP3469J

Section-80G

Section-12A

Unique Registration No. AAETP3469JF20220

Unique Registration No. AAETP3469JE20214

पत्रांक: PWBVY/322/BR23

दिनांक: 03.10.2023

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी

प्रखंड सुपौल जिला मुधुबनी बिहार

विषय: प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के संबंध में।

मोहदय,

हमारी संस्था प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम-1882 के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है। जिसका पंजीयन संख्या 110 है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय-वार्ड नंबर-04, सुपौल, बिहार-852131 में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। और सामाजिक कल्याण के कार्य करना। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिले के विभिन्न पंचायतों में निम्नलिखित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आप से अनुरोध है की आप अपने स्तर से अपने प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का ब्योरा निम्नवत है।

1. बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते है।
2. प्रगतिवाद बाल विद्यालय:- प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट के अंतर्गत प्रगतिवाद बाल विद्यालय हर वार्ड में खोलकर उसके द्वारा उस वार्ड के 3 से 6 साल के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा एवं पोषाहार देकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।
3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: -ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों एवं महिलाओं को स्वालंबी बनाने हेतु कला कम्प्यूटर सिलाई, कटाई, बुनाई, पेटींग, सौन्दर्य प्रसाधन व्यावसायिक तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण देना।
4. ग्रामीण क्षेत्र में सदस्य जाकर नाशा मुक्त जीवन जीने हेतु जागरूकता शिविर नुक्कड़ सभा और जनसम्पर्क के माध्यम से जागरूकता लाने का कार्य कर रही।

5. संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सदस्य बनाना:- चूँकी वर्तमान में संस्था को किसी सरकारी / गैर सरकारी आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराई गयी है इसलिए संस्था अपने सदस्यों से चंदा प्राप्त कर उपर वर्णित कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है।
6. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रुण हत्या, बाल मजदुरी और दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए संस्था विशेष टीम गठित कर त्री स्तरिय व्यवस्था जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सदस्य नियुक्त कर जागरुकता लाने का कार्य कर रही है।
7. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए एक शादी कोष का गठन किया है जिसमे सदस्य के परिवार के बच्चों जिनकी आयु 0-14 वर्ष होती है तो उका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निशुल्क है। 21 वर्ष की आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरुप विवाह सामग्री के शादी समारोह में दी जाती है।
8. पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरुकता करना एवं वृक्ष -रोपण को बढ़ावा देना । हरीत क्रांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओ से ग्रामीण क्षेत्रो की अवगत करना।
9. रक्त दान जीवन दान के अतर्गत आमलोगों को जागरुकता करना और बिहार के विभिन्न जिले में रक्त दान शिविर लगाने ताकि पाकृति आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य जन सेवा में सहयोग करना ।
10. प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट के अतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में वार्ड स्तरीय प्रगतिवाद बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने हेतु सेविका सहायिका एवं सुपरवाइजर की चयनित संस्था के द्वारा किया जा रहा है।
11. भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम से जागरुकता शिविर नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरुक करना ।

प्रार्थना है कि प्रखंड के विभिन्न पंचायतो के मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगा ।

**PARAS
BISHWAS**

अध्यक्ष / सचिव
प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट
सुपौल, बिहार